संख्या-831/2026/2383/22-2-2025-17(618)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 जून, 2026

विषय:- नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री जगदीश यादव, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-43413/प्रो(6)/258/(अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस-25), दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री जगदीश यादव, जो- ग्राम-गोहन्ना, थाना-को0 अकबरपुर, जिला-अम्बेडकरनगर की निवासी है। सिद्धदोष महिला बन्दी का उसी गांव में रहने वाले सुरेन्द्र कुमार वर्मा के साथ अवैध सम्बन्ध थे। जिनको रात में उसकी पुत्री प्रिया ने देख लिया था। इसी कारण अभियुक्ता पुष्पा देवी व उसके सहअभियुक्त सुरेन्द्र कुमार वर्मा ने मिलकर दिनांक-10.09.2010 को दोनो बच्चों पुत्री प्रिया (08 वर्ष) व पुत्र शनी (उम्र लगभग 03 वर्ष) को कुएं मे डालकर मार डाला तथा घटना छुपाने के लिये अभियुक्ता स्वयं भी कुंए में कूद गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-210/2010, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 16.07.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। महिला बंदी द्वारा दिनांक 06.11.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 23 दिन एवं सपरिहार 17 वर्ष, 09 माह, 28 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- महिला बन्दी द्वारा अपने अवैध सम्बन्ध को छुपाने के उददेश्य से अपने दोनो बच्चों पुत्री प्रिया (08 वर्ष) व पुत्र शनी (उम्र लगभग 03 वर्ष) को कुएं में डालकर निर्ममता पूर्वक हत्या करने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी / 2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/2-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022 /1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती पुष्पा पत्नी जगदीश यादव की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी पुष्पा (बन्दी सं0-2317)) पत्नी श्री जगदीश यादव, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-831/2026/2383(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
2- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
3- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।